राजेन्द्रसिंह बनाम अशोक वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा राजस्व 9/2024
20-12-24	पत्रा ... वकुलाय उभय पक्षक ... सीन अधिकारी दौरे/ ... /मीटिंग में है। पत्रा ... कार्यवाही हेतु दिनांक 24-12-24 ... हो। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वांछित रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्र 3909/रू-का/2024 दिनांक 17-12-24 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई।
24.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की नोटिस तामील असालतन होकर पूर्व में आ चुकी है। बावजूद असालतन तामील के आज तक हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थीगण की सहमति पर प्रकरण में अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 03.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
03.01.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर ([redacted])

राजेन्द्रसिंह बनाम सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दावा मु.नं. - 9/2024	

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौके पर बनाये गये नजरी नक्शा अनुसार सही तरमीम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
9 / 2024	2024 / 81	13.03.2024	03.01.2025

उनवान प्रकरण

राजेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह आयु 66 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

— प्रार्थी—

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र श्री रामेश्वर आयु 38 वर्ष
2. राहुल पुत्र रामेश्वर आयु 22 वर्ष
3. धापली देवी पत्नी जगदीशप्रसाद आयु 60 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)
5. मैनेजर शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रींगस जिला सीकर (राज0)

— अप्रार्थीगण—

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी अ[illegible]

श्री अरविन्द कुमार शर्मा, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 1829, 1831, 1832, 1834, 1833/3488 कुल किता 5 कुल रकबा 5.06 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज होकर उक्त भूमियो में हिस्सा 1/2 की प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज होकर उक्त भूमियो का बंटवारा दिनांक 30.10.2009 को होकर उक्त भूमियो का बंटवारा होकर खातेदारी दर्ज हुयी जो निम्नानुसार है :–

(1) प्रार्थी राजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह के नवीन प्रविष्ठि

खसरा नम्बर		रकबा
1829		1.21 हैक्टर
1831		1.13 हैक्टर
1834/1		0.07 हैक्टर
	=	2.41 हैक्टर

(2) अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 अशोक कुमार, राहुल पुत्रगण श्री रामेश्वरलाल के नवीन प्रविष्ठि

खसरा नम्बर	रकबा
1834/2	0.62 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(3) धापली पत्नी जगदीश के नाम दर्ज नवीन प्रविष्ठि

खसरा नम्बर	रकबा
1834 / 2	0.62 हैक्टर
3542 / 1833	0.335 हैक्टर
	= 0.6535 हैक्टर

उक्त बंटवारा में दर्ज नवीन तरमीम बट्टा नम्बर 1834 / 1 रकबा 0.07 हैक्टर का उक्त रकबे का नवीन नक्शे में नवीन तरमीम शुद्धि दर्ज करते समय नक्शा में खसरा नम्बर 1829 के पूर्वी तरफ प्रार्थी की भूमि में सटती हुयी नवीन तरमीम करनी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त रकबा 0.07 हैक्टर भूमि को पुराने खसरा नम्बर 1834 के उत्तरी सीमा पर लम्बी पाटी के रूप में तरमीम किया गया हैं जो कतई सही नही होकर गलत नक्शा में नवीन तरमीम किय जाना स्वतः प्रकट हो रहा है। उक्त नवीन तरमीम को नवीन शुद्धि दर्ज किया जाना न्यायोचित एंव उचित है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां कई बार निवेदन किया तो उन्होने पूर्व मे नक्शे में शुद्वि दर्ज करने का आश्वासन दिया गया परन्तु अब दिनांक 29.02.2024 को नक्शे मे शुद्वि करने बाबत् कहां तो उन्होने न्यायालय से ही नक्शे मे शुद्वि कराने हेतु कहने पर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट. पेश कर राजस्व ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के नक्शे मे नवीन तरमीम खसरा नम्बर 1834 / 1 रकबा 0.07 हैक्टर की नवीन खसरा नम्बर 1834 / 2 की [illegible] 0.07 हैक्टर दर्ज करते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(... ना)

उपखण्ड अधिकारी

नक्शे में नवीन तरमीम शुद्धि दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 3 की ओर से श्री अरविन्द कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 5 की नोटिस तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 969/भू0अ0/2024 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने दिनांक 30.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण की वास्तविक व मौके की सही व स्पष्ट भौतिक रिपोर्ट पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु पेश किये जाने पर वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नहीं होना प्रार्थना पत्र अंकित किये जाने पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3909/भू.अ./2024 दिनांक 17.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट अपनी अभिशंषा के साथ इस न्यायालय को भिजवाई गई है। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 1834 के विभाजन से ही खसरा नम्बर 1834/1 बना होकर उक्त खसरा नम्बर 1834/1 के खसरा नम्बर 1834/2 व 1834 [illegible] के उत्तरी दिशा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व खसरा नम्बर 1834/[illegible] पर राजस्व रिकार्ड अनुसार नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

होकर के खसरा नम्बर 1829 के पूर्वी दिशा में (उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा) लम्बाई अनुसार मौके पर सटा हुआ होकर खसरा नम्बर 1834/2 के पश्चिमी दिशा में अवस्थित होने तथा खसरा नम्बर 1834/1 की भूमि वर्तमान में मौके पर खाली होना रिपोर्ट में अंकित किया है। साथ ही खसरा संख्या 1834/1 का शुद्धिकरण करने पर भूमि खसरा नम्बर 1834/2 व खसरा संख्या 1834/3 की तरमीम पृष्ठांकित नजरी नक्शा मौका अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट पुनः प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 131, 132 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की तीन जमाबन्दियॉ, जमाबन्दी खतौनी संख्या 1087, 474, 196, 503, नजरी नक्शा ट्रेस पुराने व नये, बंटवारानामा दिनांकित 30.10.2009 व इसके सलंग्न नजरी नक्शा की फोटोप्रति, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पेश इकबालिया जवाब एंव रिपोर्ट पटवारी हल्का महरोली की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2024 व दिनांक 12.[illegible].2024 एंव अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया [illegible] जिनमें पटवारी हल्का महरोली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशषा रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम महरोली के मूल भूमि खसरा नम्बर 1834 का बंटवारा किये जाने पर विभाजन पश्चात् संधारित खसरा संख्या 1834/1, 1834/2, 1834/3 नया खसरा नम्बर बनना पाया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 1834/1 के मौके पर राजस्व रिकार्ड अनुसार नहीं होकर खसरा नम्बर 1829 के पूर्वी दिशा में (उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा) लम्बाई अनुसार मौके पर सटा हुआ होकर खसरा नम्बर 1834/2 के पश्चिमी दिशा में अवस्थित होने तथा खसरा नम्बर 1834/1 की भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पड़ी होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से प्रकट होता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1834 का बंटवारा किये जाने पर बंटवारा अनुसार मौका पर राजस्व रिकार्ड में तरमीम सही नहीं होना प्रकट होता है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपने पत्रांक 3909/भू.अ./2024 दिनांक 17.12.2024 में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पटवारी हल्का महरोली की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से भी पुष्टि होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाही गई नवीन तरमीम शुद्धि दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होती है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम महरोली तहसील

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस मे दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1834 के बंटवारा होने के पश्चात नवीन दर्ज खसरा नम्बर 1834/1 रकबा 0.07 हैक्टर की नवीन खसरा नम्बर, 1834/2 की पश्चिमी हिस्सा रकबा 0.07 हैक्टर दर्ज करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम वर्तमान में दर्ज रकबा अनुसार खसरा नम्बर 1834/2 व 1834/3 का नवीन नक्शा बनाया जाकर नक्शे में नवीन तरमीम शुद्धि मुताबिक तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौके पर बनाये गये नजरी नक्शा दिनांक 17.12.2024 के अनुसार सही तरमीम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:18 IST
Reason: SelfAttested